भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

वस्त्र क्षेत्र में
लोगों को समर्पित सेवा के दो वर्ष

''यह राष्ट्र, हमारी सरकार और हमारी व्यवस्था ..... यह सभी गरीबों के लिए है। हमारा उद्देश्य गरीबी से लड़ने के लिए गरीब को सशक्त बनाना है।''

वाराणसी में माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण का अंश

''हम जानते हैं कि वस्त्र क्षेत्र में हमारे पास के समृद्ध विरासत है .... हमने प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में एक आधुनिक अपैरल परिधान विनिर्माण केंद्र की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है।''

नागालैंड में दिनांक 01-12-2014 को माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण का अंश

''हथकरघा को फैशन योग्य बनाने के लिए हमें कई पहलें करनी होंगी। यह तभी किया जा सकता है जब हम नए डिजाइन लाएं, रंग संयोजन की नई स्कीमें तैयार करें, निरंतर रूप से उसे विकसित करें और उसमें नयापन लाएं, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करें, भारत में फैशन और डिजाइन शिक्षा में भी नयापन लाने की जरूरत है। भारत में फैशन और डिजाइन की शिक्षा को भी नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। हमें भारत और विश्व के लिए अपनी हथकरघा परंपरा को फैशन का केंद्र बनाने की आवश्यकता है।''

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 7 अगस्त, 2015 को 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड, का शुभारंभ करते समय माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण का अंश

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

श्री संतोष कुमार गंगवार
वस्त्र राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

समावेशी विकास के लिए आम आदमी को कारगर ढंग से सेवा प्रदान करना हमारी सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक रहा है। पिछले दो वर्षों अर्थात श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र में सरकार के गठन के समय से हमने वस्त्र क्षेत्र में विकास के लिए कई प्रमुख पहलें की हैं। वस्त्र मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों के दौरान की गई प्रमुख पहलों की एक झलक प्रस्तुत करने के लिए यह पुस्तिका प्रकाशित की है। हम वस्त्र क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने और सुशासन को जनता तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं।

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

श्रीमती रश्मि वर्मा
सचिव (वस्त्र), भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय कुछ योजनाओं और पहलों के माध्यम से इंडियन टेक्सटाइल्स के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। पिछले 2 वर्षों के दौरान, मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रयास में सफल रहा है जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, हथकरघा और हस्तशिल्प का संवर्धन, अवसंरचना का विकास, पूर्वोत्तर पर फोकस तथा कौशल विकास शामिल है। यह पुस्तिका पिछले 2 वर्षों के दौरान मंत्रालय की सफल पहलों और उपलब्धियों को रेखांकित करती है। हम वस्त्र क्षेत्र की चुनौतियों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को कायम रखने और उनमें तेजी लाना चाहते हैं।

प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए सहायता

सरकार ने वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए विगत संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआर-टीयूएफएस) के स्थान पर संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस) योजना लागू की है। संशोधित योजना में पात्र मशीनरी के लिए 2015-16 से 2021-22 तक की 7 वर्षों की अवधि के लिए एकमुश्त पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है। यह योजना दिनांक 13-01-2016 से लागू हो गई है। ए-टीयूएफएस के अंतर्गत नए मामलों के लिए 5151 करोड़ रुपए और 12,671 करोड़ रुपए प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने हेतु 7 वर्षों के लिए 17,822 करोड़ रुपए का एक बजट प्रावधान किया गया है। ए-टीयूएफएस में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 30.51 लाख रोजगार का सृजन होगा।

विगत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में 3,277 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

अप्रैल, 2015 में एक वैब आधारित दावा मॉनीटरिंग और ट्रैकिंग प्रणाली 'आई-टीयूएफएस' आरंभ की गई थी। अब ए-टीयूएफएस का ऑनलाइन क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग करने के लिए 21-04-2016 से वैब आधारित आई-टीयूएफएस साफ्टवेयर प्रचालनशील कर दिया गया है। यह लाभार्थियों, बैंकों, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय और वस्त्र मंत्रालय जैसे सभी स्टेकहोल्डरों के लिए एक पारदर्शी एमआईएस मंच प्रदान करता है जो योजना के सुचारु क्रियान्वयन को समर्थ बना रहा है।

हथकरघों का संवर्धन

हथकरघा बुनकरों की आय में वृद्धि पर विशेष जोर देते हुए हथकरघा क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए सरकार द्वारा सभी स्तरों पर पहल की गई है जिससे इस व्यवसाय के प्रति युवा पीढ़ी आकर्षित होगी।

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 अगस्त, 2015 - प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को इंडिया हैंडलूम ब्रांड की शुरूआत की। इंडिया हैंडलूम की शुरूआत करने का उद्देश्य नए डिजाइन, जीरो डिफेक्ट (फैब्रिक्स में), जीरो इफेक्ट (पर्यावरण पर) और उत्पादों की वास्तविकता और गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता को आश्वस्त करने के लिए उच्च मूल्य वाले हथकरघा उत्पादों का संवर्धन करना है।

- व्यापार सुविधा केंद्र, वाराणसी: हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को अपेक्षित सहायता के साथ बाजार उन्मुखी बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा वाराणसी में दिनांक 07-11-2014 को वाराणसी में एक ''व्यापार सुविधा केंद्र'' और शिल्प संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी। इस उद्देश्य हेतु बड़ा लालपुर, वाराणसी में 8.18 एकड़ भूमि आबंटित कर दी गई है और लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना का निर्माण किया जाएगा।

- हथकरघा क्षेत्र के लिए क्रेडिट फ्लो को सुचारु बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण के लिए बुनकरों को रुपे कार्ड प्रदान करने के लिए वाराणसी और भुवनेश्वर में पंजाब नेशनल बैंक की भागीदारी से एक पायलट परियोजना आरंभ की गई है और इस पीएनबी बुनकर मुद्रा योजना के माध्यम से रियायती ऋण संघटक के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

- हथकरघा वस्तुओं के उत्पादकों और उपभोक्ताओं, दोनों के हितों की रक्षा करने के मुख्य उद्देश्य से हथकरघा उत्पादों की ई-मार्केटिंग का संवर्धन करने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है। विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और प्रभावशाली तरीके से हथकरघा उत्पादों के ई-मार्केटिंग का संवर्धन करने में अनुमोदित ई-कामर्स इकाइयों के साथ सहयोग करेगा।

- प्रत्येक ब्लॉक में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करके कलस्टरों में बुनकरों को संगठित करना और उन्हें मूलभूत अवसंरचना प्रदान करना; जनधन योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए हथकरघा बुनकरों को उपयोगकर्ता सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहल के लिए व्यापक रूप से प्रोत्साहित करना, बाजार की सूचना प्राप्त करना और ई-कामर्स के माध्यम से उत्पादों की बिक्री करना; हथकरघा को फैशन और पर्यटन से जोड़ना, बाजार का विस्तार और आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से आईआईएचटी, वाराणसी में एकीकृत वस्त्र कार्यालय परिसर (आईटीओसी) का निर्माण किया जा रहा है जो इस क्षेत्र की कुछ अन्य पहले हैं।

India Handloom

वस्त्र प्रसंस्करण के लिए सहायता

एसएमई और जॉब वर्क यूनिटों के आधिपत्य वाले वस्त्र प्रसंस्करण कलस्टर, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी मुद्दों के कारण न्यायालय/एनजीटी आदेशों के अंतर्गत बंदी का सामना कर रहे थे। इसलिए मंत्रालय ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नालॉजी के साथ सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्रों के लिए 75 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक उद्योग के कलस्टरों को सहायता प्रदान करने के लिए इस एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) को रोल आऊट कर दिया।

मंत्रालय, प्रभावित राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहा है और इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए एसपीवी के गठन को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2015-16 में लगभग 800 एसएमई इकाइयों को राहत प्रदान करके 6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और वस्त्र प्रसंस्करण में जीरो डिफेक्ट का संवर्धन किया जा रहा है। मंत्रालय ने निस्सारी संयंत्र के लिए श्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकी विकल्पों तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए पता लगाने के लिए अपेक्षाकृत स्वच्छ प्रसंस्करण की आरएंडडी का संवर्धन करने की पहल की है।

पूर्वोत्तर में संगठित वस्त्र उद्योग का संवर्धन

प्रत्येक राज्य में एक अपैरल और परिधान निर्माण केंद्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्यम का निर्माण का सपना अब वास्तविकता में बदल गया है। नागालैंड और त्रिपुरा की इकाइयों का उद्घाटन पहले ही वस्त्र मंत्री जी द्वारा अप्रैल, 2016 में कर दिया गया है। शेष राज्यों (सिक्किम को छोड़कर) में अवसंरचना तैयार है और इकाइयों को सौंपने के लिए उद्यमियों की पहचान कर ली गई है।

यह ऐतिहासिक पहल नागालैंड में दिनांक 01-12-2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के साथ आंरभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार को बढावा देना और परिधान के क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है।

इस पहल के अंतर्गत स्थापित किए गए प्रत्येक अपैरल और परिधान निर्माण केंद्र 1200 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्रदान करेंगे। प्रत्येक राज्य में तीन इकाइयों, जिनमें प्रत्येक में 100 मशीनें होंगी, के साथ एक केंद्र होगा। अपेक्षित पृष्ठभूमि वाले स्थानीय उद्यमियों के लिए एक इकाई आरंभ करने के लिए अपेक्षित सुविधाएं 'प्लग एंड प्ले' प्रदान की गई हैं। एक बार ऐसे उद्यम स्थापित हो जाने पर नए उद्यमियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाकर वे अपनी इकाई खोल सकते हैं। यह परियोजना प्रत्येक राज्य के लिए 18.18 करोड रुपए के अनुमानित व्यय से पूर्णत: वस्त्र मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित की गई है।

इसके अलावा, माननीय मंत्री जी द्वारा मार्च, 2015 में पूर्वोत्तर क्षेत्रमें 2 रेशम पालन योजनाएं और एक जैव तकनीकी वस्त्र संवर्धन योजना आरंभ की गई है। इसी अवसर पर इम्फाल पश्चिम में पावरलूम एस्टेट के लिए भी आधारशिला रखी गई थी।

वस्त्र अवसंरचना का विकास

अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना के अंतर्गत, 4500 करोड़ रुपए तक का निवेश करने और 66,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए पिछले 8 वर्षों में 50 पार्कों की तुलना में विगत 2 वर्षों में 24 नए वस्त्र पार्क स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, योजना की प्रक्रिया को आसान बनाने, कम उद्योग वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने के लिए इसे नया रूप दिया गया है।

इसके अलावा, विगत 2 वर्षों के दौरान कामगार हॉस्टल की दो परियोजना, इन्क्युबेशन केंद्रों की दो परियोजना और अपैरल विनिर्माण इकाई के लिए एक परियोजना भी स्वीकृत की गई है।

वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण

एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) का 12वीं योजना के अंतर्गत 1900 करोड़ रुपए के आवंटन से 15 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। कुशल कार्यबल हेतु उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इससे इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने वस्त्र व्यापार में, विशेष रूप से उद्योग के तेजी से बढ़ते परिधान क्षेत्र में 3.75 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है। विगत 2 वर्षों के दौरान, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण और उद्योग को शामिल करके प्रशिक्षण को और अधिक उद्योग-उन्मुख बनाया गया है। रोजगार सृजन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। वेब आधारित एमआईएस,बायोमेट्रिक उपस्थिति, आधार प्लेटफार्म का प्रयोग और ऑनलाइन प्रमाणपत्र तैयार करने के साथ-साथ नियमित वास्तविक निरीक्षण के लिए एक मजबूत मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किया गया है।

विगत 2 वर्षों के दौरान आईएसडीएस के अंतर्गत तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हरियाणा,गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब को परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मंत्रालय द्वारा एकीकृत कौशल विकास योजना पर अगस्त, 2015 में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने, फीडबैक लेने तथा योजना के क्रियान्वयन में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

आईएसडीएस में प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और मूल्यांकन में तेजी आई है और आईएसडीएस के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों का लगभग 70% का प्लेसमेंट हुआ है।

Road damaged due to high rainfall in NE region

Road stabilised with Geotextiles

Ordinary Water Body

Water Body Developed using Geotextiles

तकनीकी वस्त्रों का संवर्धन

- पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क, पहाड़ी ढलान संरक्षण और जलाशय लाइनिंग द्वारा समुचित जल उपयोग जैसी गुणवत्तायुक्त अवसंरचना मुहैया कराने के लिए जियोटेक्निकल टेक्सटाइल्स के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए 24-03-2015 को इम्फाल में एक नई योजना (427 करोड़ रुपए का परिव्यय) आरंभ की गई थी। इससे संसाधनों का ईष्टतम उपयोग, रोजगार सृजन और तकनीकी वस्त्रों का विकास बढ़ेगा।
- केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा 21 अप्रैल, 2016 को 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी - टेक्नोटेक्स 2016 का उद्घाटन किया गया था। प्रदर्शनी के चौथे संस्करण का उद्घाटन मंत्री द्वारा 9 अप्रैल, 2015 को मुंबई में किया गया था। दोनों संस्करणों में बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी उद्यमियों और दूसरे स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया।

निर्यात संवर्धन

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य रूप से कालीन, हस्तशिल्प और पटसन में उच्च वृद्धि दर्ज करने के कारण वस्त्र और अपैरल निर्यात ने अच्छा कार्य निष्पादन किया है। सिलेसिलाए परिधान, जो सबसे बड़ी उप श्रेणी है, ने भी वित्तीय वर्ष 2015-16 में एक सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। कुल निर्यात में वस्त्र और अपैरल की हिस्सेदारी 2013-14 में 13.0%से बढ़कर 2015-16 में 15% हो गई है।

मर्केन्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस): यह योजना, जिसे अप्रैल, 2015 में आरंभ किया गया था,एफओबी मूल्य का 2.5 प्रतिशत तक के लिए पात्र वस्त्र एवं अपैरल श्रेणियों को शुल्क रिवार्ड प्रदान करती है। अब यह सभी देशों को दिया जाता है और समग्र वस्त्र क्षेत्र को कवर किया जाता है।

ब्याज समानता योजना: लदान पूर्व और लदान पश्चात रुपए निर्यात क्रेडिट संबंधी इस योजना को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अपनी दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को आयोजित बैठक में 1 अप्रैल, 2015 से 5 वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया है।

हस्तशिल्प का संवर्धन

'पर्यटन के साथ वस्त्र को जोड़ना' कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रमुख पर्यटक स्थलों को हस्तशिल्प कलस्टरों के साथ जोड़ा जा रहा है और जागरूकता फैलाने एवं घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कलस्टरों में छोटी पहलों के साथ मिलकर अवसंरचना सहायता का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ओडिशा में रघुराजपुर को एक पर्यटक स्थल के रूप में समग्र विकास के लिए चुना गया है।

चेन्नई, झारखंड, उत्तराखंड, केरल तथा मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प के संवर्धन हेतु एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं संवर्धन के लिए विशेष परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। प्रत्येक विशेष परियोजना लगभग 20,000 शिल्पकारों को सीधे लाभ पहुंचाएगी। इसलिए इन परियोजनाओं के अंतर्गत 1 लाख शिल्पकार लाभांवित होंगे।

मम्मालापुरम (चेन्नई) और ईलूरू (आंध्र प्रदेश) में 3-3 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर शहरी हाट मंजूर किए गए हैं।

कालीन बुनाई का संवर्धन

कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बचनबद्धता के एक भाग के रूप में कलस्टर आधारित एप्रोच अपनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और कश्मीर के परम्परागत कालीन बुनाई क्षेत्रों से जुड़े हुए क्षेत्रों और नए क्षेत्रों में कालीन बुनाई में रुचि रखने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की पहचान की जाएगी। तब गांव में शिल्पकारों के समूहों के लिए 4 माह की अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा करने पर शिल्पकारों को वाणिज्यिक पैमाने पर अपने स्वयं के घरों में कालीन बुनाई करने के लिए करघे, सहायक कल-पुर्जे और अन्य सहायता मुहैया कराई जाएगी। शिल्पकारों के एक समूह के लिए लगभग 50 लाख रुपए की लागत पर कच्ची सामग्री के भंडारण के लिए गोदाम, इंटरनेट सुविधा सहित कार्यालय, विश्राम कक्ष और प्रशिक्षण सेल सहित सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नई डिजाइन के विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु उन्हें सहायता दी जाएगी। इन समूहों के साथ कालीन विपणन और निर्यात करने वाले उद्यमियों को जोड़ा जाएगा। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केंद्र (एनसीडीपीडी) की सहायता से इसे कार्यान्वित करेगी। इसके अतिरिक्त, स्थायी वृद्धि करने के लिए सामाजिक दायित्वों एवं पर्यावरणीय मानकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रेशम के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि

- वर्ष 2014-15 के दौरान रेशम उत्पादन 28,710 मी.टन तक हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.5% अधिक है। 2015-16 के दौरान यह 29,000 मी.टन से अधिक है। आयात विकल्प बाइवोल्टाइन रेशम ने पिछले वर्ष की तुलना में 51% की वृद्धि दर्ज करते हुए 3870 मी.टन का अधिकतम उत्पादन दर्ज किया है। इसके परिणामस्वरूप चीन से कच्ची रेशम के आयात में भारी कमी आई है।

- देश में रेशम उत्पादन के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 7.85 मिलियन की तुलना में वर्ष 2014-5 के दौरान 8.03 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। रेशम के सामान से निर्यात आय 2013-14 में 2481 करोड़ रुपए की तुलना में 14% वृद्धि के साथ 2014-15 के दौरान 2830 करोड़ रुपए थी।

- पूर्वोत्तर में रेशम उत्पादन के विकास के लिए, दो प्रमुख श्रेणियों अर्थात एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना और गहन बाइवोल्टाइन रेशम विकास परियोजना के अंतर्गत 760.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 633.75 करोड़ रुपए है और जिससे 30,150 व्यक्तियों को लाभ और रेशम का 2000 मी.टन का उत्पादन होगा, 8 पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वयन के लिए 22 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

- आरएंडडी पहल के कारण, प्रति हेक्टेयर कच्ची रेशम उत्पादन 2011-12 के दौरान 93 कि.ग्रा. की तुलना में 2014-15 के दौरान बढ़कर 97 कि.ग्रा. हो गया है। 15 शहतूती किस्में और 25 रेशमकीट प्रजातियां विकसित की गई हैं।

- अच्छी किस्म के रेशम यार्न के उत्पादन के लिए 20 आयातित स्वचालित रीलिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने जापानी सहयोग से स्वदेशी स्वचालित रीलिंग मशीन (एआरएम) विकसित की है जो आयातित एआरएम की कीमत की आधी होगी।

- सिल्क्स पोर्टल (सेरीकल्चर इनफॉरमेशन लिंकेज एंड नॉलेज सिस्टम): केंद्रीय रेशम बोर्ड ने 'रेशम उत्पादन विकास में रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी का प्रयोग' की अपनी परियोजना के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) की राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस रजत पुरस्कार 2014-15 जीता है। यह पोर्टल क्षैतिज विस्तार हेतु संभावित रेशम उत्पादन क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा।

विद्युतकरघा का आधुनिकीकरण

योजना के अंतर्गत साधारण विद्युतकरघों के स्वस्थाने उन्नयन के लिए साधारण करघों के उन्नयन पर प्रमुख बल दिया गया है।

इस योजना को कतिपय अतिरिक्त अटैचमेंट के साथ मौजूदा साधारण करघों के उन्नयन के लिए एवं विद्युतकरघा बुनकरों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रति इकाई 8 विद्युतकरघों की सीमा तक 15,000 रुपए प्रति विद्युतकरघा की अधिकतम सब्सिडी के अध्यधीन उन्नयन अटैचमेंट/किट्स, डॉबी एवं जैक्कार्ड की लागत के 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रायोगिक आधार पर योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल परिव्यय 150 करोड़ रुपए है। इस योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु कुल 27 कलस्टरों को अनुमोदित किया गया है। पिछले 16 माह के दौरान, 55 हजार करघों का उन्नयन किया गया है एवं योजना के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में 59 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

विद्युतकरघों के उन्नयन की आवश्यकता को देखते हुए, 1 अप्रैल, 2016 से योजना को संशोधित किया गया है। विद्युतकरघा इकाइयों को रैपियर किट को जोड़ने में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और इस प्रकार रैपियर किट हेतु अतिरिक्त सब्सिडी के साथ साधारण विद्युतकरघों का स्वचालित करघों में उन्नयन संभव हो सकेगा। उप-योजना संघटक के अंतर्गत सब्सिडी को विशिष्ट ऊपरी सीमा के अध्यधीन एससी तथा एसटी के लिए बढ़ाकर क्रमश: 75 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 के लिए आबंटन बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए किया गया है।

कपास क्षेत्र को सहायता

- घरेलू कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय कपास निगम द्वारा वर्ष 2014-15 कपास मौसम में सभी 11 कपास उत्पादक राज्यों में एक सुनियोजित और अब तक का सबसे बड़ा न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाया गया। यह अभियान 30 मार्च, 2015 तक 86 लाख से अधिक गांठों की खरीद के साथ अत्यधिक सफल रहा।

- राज्य सरकार के साथ परामर्श द्वारा आंध्र प्रदेश में कपास किसानों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से ऑनलाईन भुगतान शुरू किया गया। कपास मौसम 2014-15 के दौरान भारत वर्ष 2013-14 के 117.27 लाख हेक्टेयर की तुलना में 129.71 लाख हेक्टेयर खेती के क्षेत्र के साथ कपास खेती के अंतर्गत क्षेत्र के रूप में पहले स्थान पर रहा।

- कपास मौसम 2015-16 के लिए सीसीआई ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ सभी कपास उत्पादक राज्यों में कपास किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री से बचने के लिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु प्रबंध किए हैं। सीसीआई वर्ष 2015-16 के दौरान देश भर के 11 कपास उत्पादक राज्यों के 92 जिलों में 340 से अधिक खरीद केंद्रों का संचालन कर रहा है।

- कपास मौसम 2015-16 के दौरान संभावित एमएसपी अभियानों के लिए किसानों के लाभ हेतु; (क) किसानों को प्रत्यक्ष ऑनलाइन भुगतान, (ख) किसानों हेतु बार कोड कार्ड (तेलंगाना में), (ग) अशुद्धियों से बचाव के लिए कपास को पटसन बोरों में न लाने तथा नमी की सीमा के बारे में संवेदनशील बनाने हेतु आईईसी क्रियाकलाप आदि विशेष पहल की गई हैं। बिक्री प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं बाजार संचालित बनाने के लिए सीसीआई ने ई-नीलामी के माध्यम से एफपी कपास गांठों की बिक्री की शुरुआत की।

- भारत ने 7 वर्षों के अंतराल के उपरांत 6 से 11 दिसंबर, 2015 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के अधिवेशन की मेजबानी की। 'फ्रॉम फार्म टू फैब्रिकरू द मेनी फेसिस ऑफ कॉटन' थीम के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारतीय कपास संघ तथा भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ के सहयोग से आयोजित आईएसी की अधिवेशन बैठक ने वैश्विक कपास उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करने एवं पारस्परिक चिंता के विषयों पर परामर्श के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। मुंबई अधिवेशन में 36 देशों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पटसन क्षेत्र का विकास और विविधीकरण

- लगभग 4.35 मिलियन परिवारों वाले पटसन एवं पटसन उत्पादों के उत्पादकों एवं विनिर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने दिसम्बर, 2015 में खाद्यान्न एवं चीनी की कतिपय प्रतिशतता की पटसन बोरों में अनिवार्य पैकेजिंग के आदेशों का अनुमोदन किया।
- पटसन सामान्य सुविधा केंद्र: पटसन सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) योजना की शुरूआत 01-09-2015 से मूल्यवर्धन, उत्पादन, निर्माण सुविधा के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, सदस्यों को सीधे तौर पर सहायता, एकीकृत डिजाइन, उत्पाद विकास, प्रशिक्षण एवं बाजार विकास इत्यादि के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए की गई है। प.बंगाल (3), असम (1), बिहार (1) के प्रमुख पटसन उत्पादक जिलों में 5 स्थानों पर 5 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्वीकृत किए गए हैं।
- कोलकाता में 19 फरवरी, 2016 को 'पटसन विविधीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी' का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा किया गया। मंत्री महोदय द्वारा सुंदरवन तथा जलपाईगुडी के अतिरिक्त कलस्टरों में पटसन सामान्य सुविधा केंद्र की भी घोषणा की गई। संगोष्ठी में विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही डिजाइन सहायता को प्रदर्शित किया गया।
- वस्त्र मंत्रालय की एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के अंतर्गत कोलकाता की सभी एनजेएमसी मिलों - जगदल में एलेग्जेंडरा मिल, सांकराइल में नेशनल मिल तथा टीटागढ़ में किन्निसन मिल में कौशल केंद्र तैयार किए गए हैं। 6.40 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ ये केंद्र 5,000 लोगों को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे।
- केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा दिल्ली में 19 अप्रैल, 2016 को पर्यावरण अनुकूल, बायोडिग्रेडेबल एवं कम लागत वाले पटसन थैलों के प्रयोग द्वारा दिल्ली के नागरिकों को प्लास्टिक थैलों के प्रयोग को रोकने का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए एक पर्यावरण अनूकूल पटसन थैला पहल की शुरूआत की गई है। दिल्ली-एनसीआर में मदर डेयरीध्सफल के हजारों बूथों पर आकर्षक, कम कीमत वाले पटसन थैलों को उपलब्ध कराने वाले इस हरित पहल में मदर डेयरी, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) तथा बर्ड्स जूट एंड एक्स्पोर्ट्स लि. (बीजेईएल) एक साथ आए हैं।

नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (एनटीसी) का पुनरूद्धार

- निवल मूल्य के सकारात्मक होने के साथ एनटीसी एक रूग्ण कंपनी नहीं रही तथा बीआईएफआर के क्षेत्राधिकार से बाहर आ गयी। 30-06-2015 की स्थिति के अनुसार इसका निवल मूल्य 1219.80 करोड़ रुपए है।

- उच्च मूल्य वाले लेन-देन में पारदर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य से एनटीसी ने सत्यनिष्ठा समझौता में विनिर्दिष्ट लेन-देन के लिए संभावित आपूर्तिकर्ताओं और एनटीसी के मध्य सत्यनिष्ठा समझौता को क्रियान्वित करने के लिए 3 दिसम्बर, 2015 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशलन इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सत्यनिष्ठा समझौता के अंतर्गत शामिल लेन-देन की देखरेख के लिए सीवीसी द्वारा यथा अनुमोदित दो स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएमएस) को नियुक्त किया गया है।

- 10 दिसम्बर, 2015 से ई-नीलामी के माध्यम से यार्न की बिक्री को क्रियान्वित किया गया है।

- मुंबई में इंदु मिल संख्या 6 की 12 एकड़ की भूमि पर भारत रत्न डॉ बी.आर. अम्बेडकर की याद में एक उपयुक्त स्मारक के निर्माण हेतु 5 अप्रैल, 2015 को भारत सरकार, एनटीसी तथा महाराष्ट्र सरकार के मध्य माननीय प्रधान मंत्री महोदय के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मांग अब पूरी हो गई है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इंदु मिल संख्या 6 की भूमि पर भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के स्मारक के निर्माण हेतु आधारशिला स्थापना समारोह आयोजित किया गया।

- देशभर के एनटीसी मिलों में 10 अभिज्ञात केंद्रों पर 1 अप्रैल, 2015 से आईएसडीएस के अंतर्गत यार्न विनिर्माण, वाइंडिंग, विविंग एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की शुरूआत कौशल भारत के एक हिस्से के रूप में की गई। आज तक सभी 10 केंद्र मंत्रालय के आईएसडीएस पोर्टल पर ऑनलाइन तैयार किए गए हैं। अभी तक 455 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 541 लोग पंजीकृत हैं तथा वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

- एनटीसी ने एचआरडी मंत्रालय के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी की पहल के अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत देश भर में पहले 6 मिलों के नजदीक 15 सरकारी स्कूलों में 31 शौचालयों का निर्माण कराया।

फैशन प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट) परिसरों के विस्तार तथा मौजूदा परिसरों में अवसंरचना को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। 325.36 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ श्रीनगर में एक निफ्ट परिसर स्वीकृत किया गया है। वाराणसी में निफ्ट, रायबरेली परिसर का एक विस्तार केंद्र स्वीकृत एवं प्रचालित किया गया है। शैक्षणिक खंड, प्रशासनिक खंड, हॉस्टल तथा स्टूडेंट सेंटर जैसी संस्थानिक अवसंरचनाओं को विभिन्न परिसरों में बढ़ाया जा रहा है।

निफ्ट वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने में अत्यंत सक्रिय रहा है। हाल ही में संस्थान द्वारा की गई कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं इस प्रकार हैं।

- क्षमता निर्माण तथा उद्योग सहायता के लिए इथोपिया वस्त्र उद्योग संस्थान (ईटीआईडीआई) के साथ जारी ट्विनिंग प्रबंध
- निफ्ट, रायबरेली में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना
- पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए एमसीडी के सफाई कर्मचारियों हेतु वर्दी की डिजाइनिंग
- एकीकृत कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास तथा उत्पाद विविधीकरण परियोजना
- राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के लिए पटसन पर प्रशिक्षण
- महाराष्ट्र लघु स्तरीय उद्योग विकास निगम हेतु महाराष्ट्र के शिल्पों का उन्नयन
- महाराष्ट्र लघु स्तरीय उद्योग विकास निगम हेतु भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला - 2014 में महाराष्ट्र पैवेलियन को डिजाइन करना
- विकास आयुक्त, हथकरघा के लिए हथकरघा फैब्रिक का प्रयोग करते हुए उपहारों को डिजाइन करना
- रेलवे सुरक्षा बल के लिए सेरेमोनियल यूनिफार्म को डिजाइन करना
- सोर्सिंग एवं गुणवत्ता के लिए भारतीय जल सेना अधिकारी हेतु लघु अवधि पाठ्यक्रम
- खादी बोर्ड, बिहार सरकार के लिए बिहार खादी की व्यापक, डिजाइन पहल, पोजिशनिंग एंड ब्रांडिंग

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन संस्थान (एसवीपीआईएसटीएम) :

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन संस्थान (एसवीपीआईएसटीएम) के उन्नयन के उद्देश्य से माननीय वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम में 6 मई, 2016 को तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू के अंतर्गत, एसवीपीआईएसटीएम बी.एससी. (वस्त्र) तथा वस्त्र प्रबंधन में एमबीए नामक दो प्रीमियम पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ समन्वय करेगा और इस प्रकार यह पहल संस्थान को प्रतिष्ठित बिजनेस संस्थानों की पंक्ति में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगी और इसके बावजूद वस्त्र में इसकी विशेषज्ञता को बनाए रखेगी।

ऊन क्षेत्र का संवर्धन

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान ऊन क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धि प्राप्त की :

- पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम के तहत 29.41 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया है।
- कारगिल में 300 परिवारों को पशुओं के फाउण्डेशन स्टॉक वितरित किए गए।
- 2 लाख बकरियों को स्वास्थ्य कवरेज/दवाइयां प्रदान की गई।
- भुखमरी से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए 40,000 बकरियों को प्रतिवर्ष पूरक आहार दिया गया था।
- पश्मीना ऊन उत्पादकता में प्रति बकरी 9.3% तक की वृद्धि हुई थी।
- लद्दाख (लेह व कारगिल) क्षेत्र में खानाबदोशों के लिए 446 शेल्टर बनाए गए थे।
- पांच सौर ऊर्जा चालित सामुदायिक केंद्र पूरे होने वाले हैं।
- विभिन्न चल रही योजनाओं के अंतर्गत ''भेड़ और ऊन सुधार योजना'' (एसडब्ल्यूआईएस) से 18 लाख भेड़ों को फायदा हुआ और 28 लाख भेड़ों के कुल के लक्ष्य के मुकाबले 21 लाख नई भेड़ों को कवर किया गया है।

कौशल की सफलता की कहानियां

टेक्सटाइल्स एक ऐसा क्षेत्र हे जिसमें विभिन्न योग्यताओं एवं कौशल वाले कामगारों को अधिक से अधिक संख्या में समाहित करने की क्षमता है। यह क्षेत्र वर्तमान में 45 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है तथा वर्ष 2022 के अंत तक लगभग 17 मिलियन और लोगों की आवश्यकता का अनुमान है। इस क्षेत्र की कौशल की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मंत्रालय रोजगार से जुड़ी एक प्रशिक्षण योजना 'एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस)' का क्रियान्वयन कर रहा है जो कि एक तरफ उत्पादक श्रम शक्ति के माध्यम से वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक आधार प्रदान करने का प्रयास करती है वहीं दूसरी ओर लाखों बेरोजगार ग्रामीण युवाओं, विशेषकर महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर समावेशी विकास की हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करती है। पिछले दो वर्षों में 58 सरकारी तथा औद्योगिक भागीदारों के साथ 2.69 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 1.99 लाख लोग मजदूरी परक रोजगार में लगे हैं जबकि अन्य को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान की गई है। 70% से अधिक प्रशिक्षु महिलाएं हैं। आईएसडीएस पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान नेटवर्क ऑफ एन्टरप्रेन्योरशिप एंड इकोनोमिक डेवलेपमेंट (एनईईडी) के कुछ प्रशिक्षुओं के अनुभव नीचे दिए गए हैं:

सुश्री प्रतिभा यादव (आयु-26 वर्ष)

मैं गोहरामऊ गांव से हूं जो कि लखनऊ के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। मैं एक अत्यंत गरीब परिवार से हूं तथा शुरू में मेरे पिता जी दूध का कार्य करते थे। परंतु बाद में मेरे पिता को अस्थमा हो गया और वे यह कार्य नहीं कर सके। हमारा परिवार बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था क्योंकि मेरे पिता ही आय का एक मात्र स्रोत थे। कुछ माह पहले, कुछ लोगों ने मुझे लखनऊ में एनईईडी द्वारा संचालित वस्त्र मंत्रालय की एकीकृत कौशल विकास योजना के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में प्रशिक्षण के बारे में बताया। मुझे यह भी बताया गया कि प्रशिक्षण पूरा करने पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा तथा मैं ड्रेसध्परिधान बनाकर कुछ कमा भी सकती हूं। मैंने तुरंत कार्यक्रम में पंजीकरण कराया और एनईईडी नामक प्रशिक्षण भागीदार द्वारा चलाए जा रहे 40 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने परिवार को मनाया। मुझे कौशल सीखने के लिए लगातार प्रेरित और उत्साहित किया गया और आज मैं इस बात पर गर्व महसूस करती हूं जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है उसे मैंने स्वयं सिला है। धीरे-धीरे अपनी आय से मैंने छोटे भाई को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा और आज मैं आराम से 7000 रुपए प्रति माह अर्जित कर रही हूं। आईएसडीएस कार्यक्रम ने मेरे परिवार की वित्तीय स्थिति सुधारने में सहायता की है और मैं भी आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखने की योजना बना रही हूं। हमारे गांव में बहुत सी लड़कियां गांव से बाहर भी नहीं गई हैं परंतु आईएसडीएस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे पहली बार दिल्ली आने और अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सरकार से ऐसे ही और अधिक काय्रक्रमों को शुरू करने का अनुरोध करती हूं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेरी जैसी दूसरी लड़कियों को प्रेरणा और आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद करेंगे।

सुश्री सबनूर सिद्दीकी (आयु-21 वर्ष)

मैं अमाथिया सलेमपुर गांव से हूं जो कि लखनऊ के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। मुझे आईएसडीएस का कार्यक्रम अत्यंत लाभप्रद लगा, विशेषकर, हमारे गांव में जहां लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। मेरे पिता जी एक जारदोजी कारीगर हैं और जो कुछ भी उन्हें इस काम से मिलता था वह 8 सदस्यों के हमारे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। वित्तीय रूप से तंगी में रहने के कारण मुझे 8वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं बहुत निराश थी क्योंकि मैं पिछले दो वर्षों से घर पर बैठने के लिए मजबूर थी।

लेकिन कुछ माह पहले हमारे गांव में सर्वेक्षण कर रहे मेरे एक शिक्षक ने मुझे एनईईडी द्वारा संचालित आईएसडीएस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया। आईएसडीएस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित होने के उपरांत मैं अब अपनी आजीविका चलाने तथा अपने परिवार की सहायता करने में समर्थ हूं। आज, मैं आईएसडीएस के एक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूं। इसके अतिरिक्त, मैं हाथ से एम्ब्रॉइडरी का कार्य भी कर रही हूं जिससे मेरी आय में इजाफा हो रहा है। आईएसडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने मेरे सॉफ्ट स्किल्स को सुधारने में भी मदद की है और मेरे व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया है। मैं वस्त्र मंत्रालय की इस पहल के प्रति आभारी हूं जिसने मुझे और हमारे गांव में मेरी जैसी अन्य लड़कियों की संपोषणी आजीविका चलाने में मदद की है।

पटसन क्षेत्र में सफलता की कहानियां

पटसन किसान का नाम	:	अमिनुल इस्लाम खान
पिता का नाम	:	श्री ताजेम खान
पता	:	गांव रु ताकीपुर, पोस्ट बागची, जमशेदपुर, करीमपुर-। नादिया
फोन नम्बर	:	9733949616

यह किसान पश्चिम बंगाल के नुड्डेआ जिले के हजारों अन्य किसानों की भांति एक परंपरागत पटसन किसान है जो प्रति एकड़ 10.5 क्विंटल पटसन उगा सकता था जोकि अधिकांशतरु टीडी-5 अथवा उससे निम्नतर ग्रेड वाली होती थी। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में युवा किसानों में तिलध्मक्का आदि जैसी अन्य फसलों की खेती से बेहतर आर्थिक लाभ के कारणवश पटसन की खेती को छोड़ देने का रूझान देखने में आया है। पिछले वर्ष उन्होंने इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन एंड एडवांस रैटिंग एक्सरसाइज स्कीम (आईसीएआरई) के माध्यम से पटसन खेती में नई तकनीक को अपनाने हेतु पंजीकरण कराया तथा इसके लिए पीएसीएस (प्राथमिक कृषि सहकारी समिति) के पास पंजीकरण कराया।

आईसीएआरई योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा किसानों को निम्नलिखित आधुनिक तकनीक का प्रयोग किए जाने का प्रशिक्षण दिया गया:

1. कतार में बुवाई के लिए सीड ड्रिलिंग
2. खर पतवार प्रबंधन के लिए नेल वीडर्स
3. प्रमाणित पटसन बीज
4. माइक्रोबियल कंर्सोटियम के साथ रैटिंग (सीआरआईजेएएफ सोना)
5. नई प्रौद्योगिकियों, सीआरआईजेएएफ सोना, मौसम के पूर्वानुमान वैदर फोरकास्ट के साथ एडवांस रैटिंग तकनीक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक के बारे में किसानों को कई संदेश भेजना

श्री खान ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रूचि के साथ पूरा किया तथा प्राप्त हुए संदेशों का अनुसरण किया और पटसन आईसीएआरई तकनीकों को अपनाया किया। पटसन आईसीएआरई का प्रयोग करने से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैंरु

1. 12 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज हुई जो कि पिछले वर्षों की उनकी औसत उपज से लगभग 14% अधिक है।
2. पटसन फाइबर की गुणवत्ता में एक ग्रेड का सुधार हुआ।
3. उन्होंने सीड ड्रिल्स तथा नेल वीडर्स का प्रयोग करके 24 मानव श्रम दिवसों की बचत की।

इस प्रकार पटसन आईसीएआरई कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक कृषि प्रक्रियाओं एवं सीआरआईजेएएफ सोना अपना करके उन्होंने न केवल उत्पादन की लागत को घटाया बल्कि अधिक एवं बेहतर गुणवत्ता की उपज प्राप्त की। आर्थिक दृष्टि से उनकी आय 7500 रुपए बढ़ गई।

सुंदरबन में टाइगर द्वारा मारे गए लोगों की विधवाएं

प.बंगाल में पाखीरायाला गांव, दक्षिणी 24 परगना के गोसाबा ब्लॉक की 25 वर्षीया कौशल्या मंडल सुंदरबन की संकरी रहस्मयी दरारों में मछलियों, केकड़ों और झींगों को पकड़कर कर अपनी आजीविका चलाती थी। 2014 में 'काली पूजा' (दिवाली) से ठीक पहले उनके पति मछलियां पकड़ने के लिए गए थे जब उन पर एक रॉयल बंगाल टाइगर ने मार्च, 2014 में हमला कर दिया। अब इन्हें न केवल स्वयं का बल्कि अपने सात वर्षीय पुत्र का भी पेट भरना था।

वे सुंदरबन की उन तमाम विधवाओं में से एक हैं जिनके पति चीतों/मगरमच्छों/सांपों द्वारा मारे गए हैं अथवा विकलांग कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) ने ऐसी 21 विधवाओं की पहचान की और उन्हें फरवरी-मार्च, 2015 माह में विभिन्न पटसन उत्पदों के निर्माण का प्राथमिक प्रशिक्षण दिया।

इस समूह को कुछ सिलाई मशीनें भी प्रदान की गईं और उन्हें सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया। इन महिलाओं के व्यक्तिगत खाते भी निकटतम बैंक में खोले गए हैं। उन्होंने अब सुंदर बैगध्फोल्डरध्क्लच का निर्माण करना आरंभ कर दिया है जिनकी बिक्री सुंदरबन का भ्रमण करने वाले पर्यटकों को की जा रही है।

जब प्राथमिक प्रशिक्षण आरंभ हुआ तो ये महिलाएं काफी संशय की स्थिति में थीं। कुछ महीनों के उपरांत उनका संशय नए जीवन की नयी आशा में परिवर्तित हो गया है जहां उन्हें जंगल अथवा समय-समय पर मिलने वाली सरकारी सहायता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इन महिलाओं की आंखों में दिखने वाला बैंकों का भय अब नहीं है। बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि. (बीजेईएल) ने टाइगर द्वारा मारे गए लोगों की विधवाओं को इसके आपूर्तिकर्ताओंध्निर्माताओं के रूप में पंजीकृत किया है एवं अर्जित लाभ में से 90: इन महिलाओं को हस्तांतरित किया।

रेशम क्षेत्र में सफलता की कहानियां

श्री स्टेनहिंग नांगसेजी
सुपुत्र श्री वोरिन सिन्निया
गांवरू नांगरीटोंग, जिलारू पश्चिम खासी हिल्स
मेघालय - 793119
मोबाइल: 7863357188

श्री स्टेनहिंग नांगसेजी (50 वर्ष) ने 2014 से किसान नर्सरी का काम शुरू किया। वे वर्ष के दौरान एकल फसल चक्र में आधा एकड़ भूमि में एस-1635 किस्म के 19,000 पौधे उगा रहे हैं। वे 2 रुपए प्रति पौधे की दर से पड़ोसी क्षेत्रों के किसानों को पौधों की सप्लाई कर रहे हैं जिससे उन्हें वर्ष 2014-15 के दौरान 38,000 रुपए की आय हुई। उन्होंने केंद्रीय रेशम बोर्ड और राज्य रेशम उत्पादन विभाग से किसान नर्सरी का प्रशिक्षण लिया और सीडीपी के अंतर्गत इस कार्य के लिए 60,000 रुपए की सहायता प्राप्त की।

''ऐरी कल्चर मेरे और मेरे परिवार के लिए संपोषणीय व्यवसाय सिद्ध हुआ है क्योंकि इसकी आय से हमारी आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐरी पौधों को तैयार करने और आपूर्ति करने से हुई आय से मैं अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हूं।''

श्रीमती फिलिना लिंगदोह
पत्नी श्री मार्टिन थांगखिव
गांवरू वाहसिनोन न्यू जिरांग, जिलारू रिभोई
मेघालय-793107
मोबाइल: 7308121612

श्रीमती फिलिना लिंगदोह (38 वर्ष) बचपन से ही ऐरी कल्चर की खेती कर रही हैं। आज उनके पास ऐरी खाद्य पौधों की 2 एकड़ और आधा एकड़ में ऐरी नर्सरी (केस्सेरू, कास्टर और टापीओका) की भूमि है। उन्होंने सीडीपी के अंतर्गत ऐरी खाद्य पौधों, रीयरिंग हाउस और किसान नर्सरी की वृद्धि के लिए सहायता प्राप्त की है। 2014-15 के दौरान उन्होंने दूसरे किसानों को 3-6 रुपए की दर से 22,600 पौधों की आपूर्ति की और कोया की फसल की और 30 कि.ग्रा. से अधिक कोया खोल बेचे और उन्हें 1.50 लाख रुपए की कुल आय हुई। 'मैं अपने माता-पिता की सहायता करती आयी हूं और इसलिए मैंने ऐरी रीयरिंग तकनीक को अपनाया। शादी के पश्चात मैंने इसे वाणिज्यिक रूप में अपनाया क्योंकि इसने मुझे अच्छी वित्तीय सहायता प्रदान की। इस कार्य और ऐरी पौधों से हुई आय के माध्यम से मैं अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हूं।'

श्री भरत सिंह
सुपुत्र श्री कुडा राम
गांव: छालौर पो.ऑ. रामपुर,
जिला: यमुना नगर, हरियाणा – 135102
मोबाइल : 9466354907

श्री भरत सिंह (50 वर्ष) ने राज्य बागवानी विभाग की सहायता से वर्ष 2012-13 में अपनी 2 एकड़ भूमि की मेंढ पर लगभग 300 शहतूती पौधे लगाकर रेशम की खेती करनी शुरू की। आरएसटीएस, सहसपुर, देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने रेशमकीट पालन शुरू किया। श्री सिंह ने विगत 2 वर्षों में वार्षिक रूप से 100 डीएफएलएस का पोषण किया जिससे 48-49 कि.ग्रा. कोया का उत्पादन हुआ और उन्हें 10,000 रुपए की कुल आय हुई। आगामी मौसम में वे रेशमकीट पालन का आकार बढ़ाना चाहते हैं ताकि रेशमकीट पालन से और अधिक आय हो सके।

''रेशम की खेती से हुई आय ने निश्चित ही मेरे परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित किया जिससे मुझे मदद मिली। मैंने रेशमपालन कार्य में समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब मुझे डीएलएफएस इंनटेक बढ़ाकर रेशम की खेती से अपनी आय को कई गुणा करने का विश्वास है।''

श्री बब्लू हेमरॉम
सुपुत्र श्री मुलिन्डो हेमरॉम
गांव: महुलबोना, ब्लॉक एवं थानारू रानीश्वर
जिला: दुमका, झारखंड
मोबाइल : 8809939321

श्री बबलू हेमरॉम (30 वर्ष) ने तसर बीज उत्पादन में कौशल प्रशिक्षण लेने के पश्चात अपने गांव में ही वर्ष 2014 में 5000 डीएफएलएस क्षमता की अपनी तसर बीज उत्पादन इकाई स्थापित की। अपने प्रथम वर्ष के दौरान ही उन्होंने लगभग 14,600 कोया बीज संसाधित किये और 3-88 कोया प्रति डीएफएलएस की अच्छी दर पर अच्छी किस्म के 3750 तसर डीएफएलएस का उत्पादन किया। इस ग्रेनेज कार्य से उन्हें 29,180 रुपए का कुल लाभ प्राप्त हुआ। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे मौसम आधारित मजदूरी से ही अपना जीवन-यापन करते थे।

''वाणिज्यिक बीज उत्पादन और तसर कोया उत्पादन कार्यों को करके मेरा जीवन सकारात्मक हो गया है। मजदूरी से मुझे अनियमित अल्प आय होती थी लेकिन आज मैं अच्छी स्थिति में हूं और मैंने अपना छोटा सा ऋण भी चुका दिया है। मैं अब अपने बच्चों को शिक्षा मुहैया करा सकता हूं।''

हथकरघा बुनकर की सफलता की कहानी

लाभार्थी का नाम	:	बाटा पात्रा
पिता/पति का नाम	:	मदन पात्रा
आयु	:	41 वर्ष
पता	:	मनियाबन्धा साही, पो. मनियाबंध जिला- कटक
संपर्क सं. (मो.)	:	08594991556
ऋणदाता बैंक का नाम	:	पंजाब नेशनल बैंक, मनियाबंध शाखा
ली गई राशि	:	50,000/- रु.
ऋण प्राप्त करने की तारीख	:	22-12-2015
उपयोग की गयी निधियों का ब्यौरा	:	
2/80-4 बीडीएल यार्न की 1800 रु. की दर से		खरीद 7200/- रु.
2/100-4 बीडीएल, 2600/- रु. की दर से	=	10,400/- रु.
आर्ट सिल्क एवं बंध की खरीद	=	5,000/- रु.
एक करघे की खरीद	=	12,000/- रु.
एसेसरीज की खरीद	=	5,000/- रु.
डॉबी की खरीद	=	3000/- रु.
अन्य व्यय	=	7,400/- रु.
कुल	=	50,000/- रु.

बुनकर की पूर्व की स्थिति :-

इससे पहले यह बुनकर स्थानीय मास्टर बुनकर के अधीन काम कर रहा था। मास्टर बुनकर उसे वार्प एवं फिनिस्ड टाई एंड डाई वेफ्ट यार्न की आपूर्ति करता था और बुनकर को प्रति नग 250/- रु. की दर से केवल कनवर्जन शुल्क का भुगतान करके तैयार माल साड़ी लेता था। इसलिए अतिरिक्त लाभ सीधे मास्टर बुनकर के पाकेट में जा रहा था। बुनकर की मासिक आय का ब्यौरा निम्नानुसार था:-

एक माह तैयार किए गए माल की संख्या ¾=15 नग काटन साड़ी

मासिक आय 250/- रु. x 15 = 3750/- रु. प्रतिमाह

वर्तमान स्थिति:-

वर्तमान में वह प्रतिमाह 20 काटन साड़ी का उत्पादन कर रहा है। कच्ची सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण वह समय पर फैब्रिक का उत्पादन करने के लिए आवश्यक नियमित प्रसंस्करण श्रृंखला बना रहा है। अपनी कच्ची सामग्री के द्वारा वह अतिरिक्त लाभ कमा रहा है। इसलिए बुनकर की वर्तमान मासिक आय निम्नानुसार है :-

कच्ची सामग्री की लागत	=	486/- रु. प्रति नग x 20 नग = 9720/- रु.
2/100 यार्न	=	296-00/- रु.
आर्ट सिल्क	=	15-00/- रु.
बंध	=	125/- रु.
रंगाई शुल्क	=	50.00/- रु.
कुल	=	486/- रु. प्रति नग
साड़ी का बिक्रय मूल्य	=	950/- रु. x 20 = 19000/- रु.
कुल आय	=	464/- रु. x 20 =9,280/- रु.

टाई एंड डाई निर्माता की सफलता की कहानी

लाभार्थी का नाम	:	सुरेन्दर माटी
पिता/पति का नाम	:	गुरुबारी माटी
आयु	:	46 वर्ष
पता	:	मनियाबन्धा साही, पो . मनियाबंध जिला- कटक
संपर्क सं. (मो.)	:	08908316033
ऋणदाता बैंक का नाम	:	पंजाब नेशनल बैंक, मनियाबंध शाखा
ली गई राशि	:	50,000/- रु.
ऋण लेने की तारीख	:	22-12-2015
उपयोग की गयी निधियों का ब्यौरा :		
यार्न की खरीद	:	25,000/- रु.
डाई एवं केमिकल की खरीद	:	12,000/- रु.
टाइंग फ्रेम की खरीद	:	6,000/- रु.
अन्य व्यय	:	7,400/- रु.
कुल	:	50,000/- रु.

लाभार्थी की पूर्व की स्थिति :-

इससे पहले लाभार्थी मास्टर बुनकर और स्थानीय व्यापारी के अधीन कार्य कर रहा था। वे उसे कच्ची सामग्री (वेफ्ट यार्न, टानी बंध और आंचल बंध के लिए) की आपूर्ति करते थे और उन्हें 1200/- रु. प्रति लॉट (धाडा) की दर से तैयारी शुल्क का भुगतान करके बदले में इकत (बंध) लेते थे। उनकी मासिक आय निम्नानुसा थी:-

मासिक टाइंग एवं डाइंग की क्षमता	-5 लॉट (धाडा)
मासिक आय	-1200/- रु. x 5 = 6000/- रु.
तैनात किए व्यक्तियों की सं.	- 2 व्यक्ति
प्रति व्यक्ति मासिक आय	- 3000/- रु.

इसके अलावा, पूर्व में बुनकर मास्टर बुनकर अथवा यार्न व्यापारी से अधिक कीमत पर यार्न खरीद रहा था और उनके द्वारा उसका शोषण किया जाता था। उनके द्वारा समय पर कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कभी-कभी टाई एंड डाई निर्माता अपना काम रोक दिया करता था।

वर्तमान स्थिति:-

अब लाभार्थी को कच्ची सामग्री की कोई कमी नहीं है और वे स्वतंत्र रुप से और निरन्तर कार्य कर रहे हैं। वे कच्ची सामग्री की पर्याप्त मात्रा में खरीद और भंडारण कर रहे हैं जिसके लिए वे नियमित रुप से काम कर रहे हैं और उनकी मासिक आय बढ़ रही है। वर्तमान में वे 7 लॉट (धाडा) टाई एंड डाई यार्न तैयार कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान में उनकी मासिक आय निम्नानुसार हैरु-

टाइंग एवं डाइंग की मासिक क्षमता	-	7 लॉट (धाडा)
मासिक आय	-	1200/- रु. x 7 = 8400/- रु.
थोक में कच्ची सामग्री की खरीद से अतिरिक्त लाभ		- 2500/- रु.
कुल मासिक आय	-	10,900/- रु.

विद्युतकरघा बुनकरों की सफलता की कहानी

श्री के. सेन्नियाप्पन
7/72, वथियार थोट्टम,
अथुपलायम, सोमन्नुर,
कोयम्बटूर- 641668
मोबाइल नं. 9842804113

8 विद्युतकरघों पर वार्प स्टॉप मोशन, वेफ्ट स्टॉप मोशन और सक्षम ब्रेकिंग डिवाइस लगाई।

(क) पुश बटन से करघे को शुरू करना/बंद करना आसान है। यह करघे की स्थिति बदले बिना एंड्स की टूट-फूट ठीक करता है।

(ख) मल्टिपल वार्प एंड्स की टूट-फूट रोकता है।

(ग) कपड़े की बरबादी को रोकता है।

(घ) पिक ह्वील को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है।

(ङ) उत्पादन में 10% से 20% की बढ़ोतरी होती है और गुणवत्ता में सुधार होता है।

(च) आठ विद्युतकरघों के लिए 1,20,000/- रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई और योजना से मुझे काफी मदद मिली।

श्री आर. अरुमुगम
2/355, थेननई मरठोट्टम, कल्लीवलमपट्टी,
तिरुपुर, पल्लाडम तमिलनाडु
मोबाइल नं. 9842675100

8 विद्युतकरघों पर वार्प स्टॉप मोशन और सक्षम ब्रेकिंग डिवाइस लगाई।

(क) पुश बटन से करघे को शुरू करना/बंद करना आसान है। यह करघे की स्थिति बदले बिना एंड्स की टूट-फूट ठीक करता है।

(ख) मल्टिपल वार्प एंड्स की टूट-फूट रोकता है।

(ग) कपड़े की बरबादी को रोकता है।

(घ) पिक ह्वील को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है।

(ङ) उत्पादन में 10% से 20% की बढ़ोतरी होती है और गुणवत्ता में सुधार होता है।

(च) आठ विद्युतकरघों के लिए 1,20,000/- रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई और योजना से मुझे काफी मदद मिली।

पिछले 2 वर्षों में की गई पहलें और उपलब्धियां-एक नजर में

- वस्त्र क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर 6500 करोड़ रु. से अधिक का व्यय किया गया है।
- वस्त्र क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में लगभग पांच लाख अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया गया।
- अपैरल तथा हस्तशिल्प दोनों ने पिछले दो वर्षों के दौरान 22% की वृद्धि दर्ज की तथा पिछले दो वर्षों के दौरान समग्र वस्त्र में उनसे पहले के दो वर्षा की तुलना में 8% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल निर्यात में टेक्सटाइल्स का हिस्सा 13% से बढ़कर 15% हो गया।
- एक लाख करोड़ रु. का निवेश आकर्षित करने और 30 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए 17,822 करोड़ रु के बजट प्रावधान से जनवरी, 2016 में अगले 7 वर्षों के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस) शुरु की गई है।
- उपभोक्ता को गुणवत्ता आश्वासन और बुनकरों के लिए बढ़ी हुई आय सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7 अगस्त, 2015 को इंडिया हैण्डलूम ब्रांड आरंभ किया गया है। हथकरघा बुनकरों हेतु ऋण का प्रवाह सुचारू बनाया गया है।
- 75 करोड़ रु. की सीमा के अध्यधीन जेडएलडी प्रणाली के साथ सीईटीपी के लिए 50% तक सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना आरंभ की गई, प्रसंस्करण कलस्टरों को सहायता प्रदान करने के लिए छह परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।
- सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में अपैरल और परिधान केन्द्रों की स्थापना करके पूर्वोत्तर में परिधान विनिर्माण आरंभ किया गया, अप्रैल 2016 में नागालैंड और त्रिपुरा में इकाईयों का उद्घाटन किया गया और शेष राज्यों में केन्द्र तैयार हैं।
- 4500 करोड़ रु. के निवेश और 66000 व्यक्तियों के लिए रोजगार की संभावना के साथ एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के अंतर्गत 24 नए वस्त्र पार्क स्वीकृत किए गए।
- 3.75 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है; 70 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को नौकरी प्रदान कर दी गई है।
- पूर्वोत्तर में गुणवत्ता वाली अवसंरचना प्रदान करने के लिए 427 करोड़ रु. के परिव्यय से मार्च, 2015 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नई जियोटेक्सटाइल संवर्धन योजना आरंभ की गई है।
- 'वस्त्र को पर्यटन के साथ जोड़ना' के अंतर्गत हस्तशिल्प का संवर्धन किया गया; एक लाख कारीगरों को लाभान्वित करने के लिए पांच राज्यों में हस्तशिल्प के एकीकृत विकास और संवर्धन के लिए विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।
- वर्ष 2015-16 के दौरान रेशम के उत्पादन में 29,000 मी. टन की वृद्धि हुई; बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 51% की वृद्धि दर्ज की गई जिससे चीन से कच्ची रेशम के आयात में कमी आई है।
- साधारण विद्युतकरघों के स्व स्थाने उन्नयन के माध्यम से विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रमुख महत्व दिया गया- 60 करोड़ रु. की लागत से 55000 करघों का उन्नयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित एसी और एसटी के लिए क्रमश: 75% और 90% की रैपियर किट तथा बढ़ी हुई सब्सिडी प्रदान की गई।
- कपास किसानों की मजबूरी को कम करने के लिए 86 लाख गांठ से अधिक की खरीद करके कपास मौसम 2014-15 में मूल्य के संदर्भ में अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया।
- सितंबर, 2015 में पटसन सामान्य सुविधा केन्द्र योजना लागू की गई; पटसन में खाद्यान्न और चीनी की अनिवार्य पैकिंग को सुदृढ़ बनाया गया है।
- नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (एनटीसी) का कायाकल्प हुआ; यह 2014 में बीआईएफआर के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ गई है।
- फैशन शिक्षा: श्रीनगर में 325 करोड़ रु. की लागत से एक नया निफ्ट कैंपस स्वीकृत किया गया; वाराणसी में निफ्ट का विस्तार केंद्र प्रचालनशील बनाया गया है।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

योजनाओं और पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए वस्त्र मंत्रालय की वेबसाइट देखें
www.texmin.nic.in